राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/8194-98 दिनांकः- 29-05-2015.

कार्यालय आदेश सं. 22/2015-16

श्री नौनिहाल गुप्ता, (मेरिट नं0 164/85, लिंक नं0 2098) की कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 12.08.1985 से 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा 12.08.2012 को पूर्ण हुई है परन्तु कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 20.11.2008 के द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण इन्हें एक वर्ष देरी से अर्थात दिनांक 12.08.2013 से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 5400/- में स्वीकृत की जाती है।

श्री नौनिहाल गुप्ता के वर्ष 2012-13 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत नौ वर्षो में से सात वर्ष की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री नौनिहाल गुप्ता का वेतन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है, एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्व कोई विभागीय / फौजदारी जाचं प्रकरण लम्बित नहीं है एवं पिछले वर्षो में निरन्तर वेतन वृद्धियां प्राप्त हो रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/ अलेसे-III/8194-98 दिनांकः- 29-05-2015.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा।
2. श्री नौनिहाल गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि श्री नौनिहाल गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भविष्य में प्राप्त होने पर यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. निजी/गार्ड फाईल ।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)